भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-132

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत संशोधन विधेयक, 2020 का कार्यान्वयन

132. डॉ. अमी याज्ञिकः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय बोझ को समाप्त करने के लिए सरकार किसानों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में विद्युत लागत और सिंचाई लागत के संदर्भ में विधेयक के वित्तीय निहितार्थों की गणना की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, राज्य सरकारें राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसानों सहित, किसी भी उपभोक्ता को अथवा उपभोक्ताओं की श्रेणी को किसी भी प्रकार की सब्सिडी दे सकती हैं। इस संबंध में मौजूदा प्रावधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा जिन्हें मौजूदा कानून के अनुसार अग्रिम सब्सिडी देने का अधिदेश प्राप्त है, सब्सिडी के भुगतान के तरीके में परिवर्तन का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार, किसानों को विद्युत लागतों अथवा सिंचाई लागतों के मामलों में किसी अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ का प्रश्न ही नहीं उठता।

****